रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 53] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 1976/माघ 24, 1897
No. 53] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 1976/MAGHA 24, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February 1976

G.S.R. 79(E).—The following Order made by the President on 9th February, 1976 is published for general information:—

The Governor of Gujarat (Allowances and Privileges) Amendment Order, 1976

In exercise of the powers conferred by section 44 of the Bombay Reorganisation Act, 1960 (11 of 1960), the President hereby makes the following Order further to amend the Governor of Gujarat (Allowances and Privileges) Order, 1960, namely:—

1. This Order may be called the Governor of Gujarat (Allowances and Privileges) Amendment Order, 1976.

2. In the Governor of Gujarat (Allowances and Privileges) Order, 1960, in the Second Schedule, after the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

'Provided further that for the financial year 1973-74, this Schedule shall have effect as if for the figures "90,000" and "2,38,000", occurring in columns 2 and 7 thereof, the figures "1,17,308" and "2,65,308" had respectively been substituted.'

F. A. AHMED,
President.

[No. 2/52/73-Pub-I (States)]

S. S. SIDHU, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1976

सा०का०नि० 79(अ०).—9 फरवरी, 1976 को राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

गुजरात का राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन आदेश, 1976

राष्ट्रपति, मुम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960-(1960 का 11) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात का राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) आदेश, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:—

1 इस आदेश का नाम गुजरात का राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन आदेश, 1976 है।

2 गुजरात का राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) आदेश, 1960 में द्वितीय अनुसूची में विद्यमान परन्तुक निम्नलिखित परन्तुक अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :

'परन्तु यह और कि वित्तीय वर्ष 73–74 के लिए इस अनुसूची का प्रभाव इस प्रकार होगा, मानों उसके स्तंभ 2 और 7 में क्रमशः " 90,000 " और "2,38,000" अंकों के स्थान पर क्रमशः " 1, 17, 308" और " 2, 65, 308" अंक रखे जा चुके थे ।'

एफ० ए० अहमद,
राष्ट्रपति ।

[सं० 2/52/73–पब्लिक–1 (स्टेट्स)]

एस० एस० सिद्धू, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976